International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol.9 No.6 July – Aug 2022

"स्त्रियों की सामाजिक-आर्थिक गति और स्थिती"

प्रा.डॉ.मानीतकुमार अमृतराव वाकळे
खोलेश्वर महाविद्यालय, अंबाजोगाई,जि. बीड
Corresponding Author- **प्रा.डॉ.मानीतकुमार अमृतराव वाकळे**
DOI- 10.5281/zenodo.7070794

पृष्ठभूमि :

भारत में स्त्री शक्ति स्वरूप में लिया जाता हैं, यह परंपरा प्राचीन कालसे चली आरही हैं । लेकिन मुगलों, अंग्रेजी और बाद के कालखंड में शक्ति स्वरूपा की सामाजिक गरिमा को चोट पहुचाई गई । लगातार सांस्कृतिक आक्रमणों के चलते महिला शक्ति, जो भारत की सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के तौर पर जानी और पहचानी जाती थी, उपयोगिता को समाप्ता किए जाने का भरकस प्रयत्न किया गया । हमारे गौरवशाली इतिहास के कालखंड में बहुत सी मातृशक्तियों के उदाहरण उपलब्ध है । जिन्होंने समाज को दिशा दिखाने का काम किया है । जबकी प्राचीन समय से विदेशों या सैमेटिक प्रभाववाले स्थानों में महिलाओं को मूल अधिकार भी बड़ी मुश्किलसे मिलते थे । भारत में पुरूसत्ताक वर्चस्ववादी व्यवस्थाने अपने वैयक्तिक स्वार्थ के लिए महिला को गूलाम बनाया और उसको सर्व अधिकारों से वंचित किया धर्मग्रंथो में नीच समजा तुलसीदास तो स्त्री को... "ढोल, गॅवार, शुद्र, पशू नारी । सकल ताडना के अधिकारी ।" इस तरह समझा, भारत में जो गुलामी हैं । उसमें महिलाओं का सबसे ज्यादा शोषण किया गया है । महिलाओं पर ज्यादा बंधन होने का जो मौलिक कारण है वो यही कारण है कि भारत में जो विवाह पद्धती है वो दुनिया में कहिपर नही है । विवाह पद्धति में जाति श्रेष्ठ कनिष्ठता, अशिक्षा, धार्मिकता के बंधनों से स्त्री के सामाजिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता को बंदिस्त किया गया है ।

भारतीय स्त्रियों का वर्ग एवं सामाजिक स्थिती :

भारतीय समाज में स्त्री को गौणत्व प्रदान किया गया है भारतीय सनातनी दृष्टीकोन स्त्रिको चूल्हा, चौकट और बच्चों की देखभाल यहाँ तक ही सिमीत था । किंतु वे पुरूषों की तरह हर कार्य में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक कार्य में बराबर की हकदार थी । तथापि अपनी मनुवादी समाजव्यवस्था ने स्त्री को चारदिवारी में कैद कर लिया । मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जिस वर्ग को अपने उदर निर्वाह, उपजिविका के लिए मुख्यत: शारिरिक कष्ट पर निर्भ्र रहना पडता हैं उन्हे मागास वर्ग कहा जाता है । मंडल आयोग ने श्रम के आधारपर तथ रहन-सहन, क्रय-विक्रय के आधरपर सामाजिक तथा आर्थिक दर्जा निश्चित किया । इन सब में स्त्री का दर्जा अत्यंत गौण तथ कष्टप्रद था ।

कुटूंब में ही नही बल्कि पूरे समाज में स्त्री को सन्मान नही था । पती के नाम और व्यवसाय से स्त्री की पहचान होती थी । घरमें, समाज में उनपर अत्याचार होते थे, हजारों महिला इन अत्याचारों से अपनी जान गवाँ देती थी । विवाह, खानपान, रहनसहन के मूलाधार पुरूष ही निश्चित करते थे । स्त्री को इसमें अपना मत देना या हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नही था । हिंदू धर्मग्रंथोंने स्त्री को 'बंदिस्त वर्ग' में कैद किया है । डॉ. बाबासाहब आंबेडकर ने स्त्री को 'जातिव्यवस्था का प्रवेशद्वार' कहा है । 'जाती' का मतलब 'बंदिस्त वर्ग' है और इन जातियों का उदय स्त्रियोंपर बंधने लादकर किया है । जाती के बाहर विवाह बंदी तथ भोजन बंदी यह जाती के मूलाधार है ।

जाती को वर्ग की पवित्रता बरकरार रखने के लिए सतीप्रथा, बालविवाह, विधवा प्रथाओं का निर्माण किया गया । स्त्रियोंकी पवित्रता अबाधित रखने के लिए पुरूषों ने अपने नियमों, कानुनोंसे उसे बली का बकरा बना दिया । स्त्री को हमेशा धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक बंधनों से जकड कर रखा । रक्षाबंधन, करवा चौथ जसै धार्मिक त्योंहारों से स्त्री के मस्तिष्क में पूर्णत: गुलामी भर दी । किंतु यह नियम बनानेवालों को यह नियम कदापि लागू नही थे । स्त्री ने पुरूषों को पुरूषत्व प्रदान किया उसी पुरूषों के द्वारा मातृशक्ती को पशूत्व की भेट मिली । उसे जान

बुझकर भारतीय समाजव्यवस्था ने शिक्षा से दूर रखा । क्यों की शिक्षा से स्त्री धर्मद्रोही, समाजद्रोही बनेगी भारतीय समाज में स्त्री को अत्यंत गौण स्थान मिला ।

आर्थिक वर्ग :

भारतीय समाज में महिलाओं का शोषण अनादीकाल से हो रहा है । महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया, ताकि वे वैचारिक रूप से स्वतंत्र न हो सके, आर्थिक रूप से परावलंबी हो । महिला को सामाजिक, आर्थिक पारतंत्र देनेवाला एक वर्ग समाज में प्रस्थापित हुआ और स्त्री को गुलाम बनाया । महिलाओं की इन गुलामों के खिलाफ राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने आंदोलन चलाया उनका कहना था कि, 'विद्या बिना मती गई । मति के बिना गति गई । गति बिना वित्ता गया । और वित्त के बिना शुद्र पतित हुए । इतना सारा अनर्थ एक अकेली अविद्या के कारण ही हुआ ।' म.ज्योतिराव फुलेने सर्व प्रथम महिलाओं को शिक्षित किया । स्कुलोंकी स्थापना की, इतनाही नही आपनी पत्नी सावित्रीबाई को शिक्षित कर शिक्षिका बनाया ।

आज फुले, शाहू, आंबेडकर के क्रांतीकारी विचारों ने, शिक्षा ने महिलाओं में अमुलाग्र बदलाव लाया । शिक्षा, कायदा, कानून से उन्हे उनका अधिकार दिलाया । नौकरी के माध्यम से महिलाओं में वैचवारिक एवं आर्थिक स्वावलंबीत्व प्राप्त हुआ । राजर्षि राहू महाराज ने दहेज प्रथा बंद कर स्त्री को 'वस्तू' न समझकर 'मनुष्यत्व' हा एहसास दिलाया । आगे चलकर डॉ. बाबासाहब आंबेडकर ने महिलाओं के लिए खास कानून तयार कर उन्हे कानुनन पिता और पती के संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार बनाया । समाज में कुटूंब में अपना सम्मान, हक्क देने के लिए 'हिंदू संहिता विधेयक' यानी 'हिंदू कोड बिल' की निर्मिती की ।

इससे स्त्री को संपत्ती का वारसदार, विवाह, पोटगी, तलाख, दत्तकविधान, अज्ञान पालकत्व इ. अधिकार दिए गए । स्त्रियोंके साक्षर बनाने का काम म. फुलेने किया है और आर्थिक निर्भर एवं स्वतंत्र करने का काम डॉ. आंबेडकर ने किया है । म.फुलेंने महिलाओं में स्व-चेतना जागृती की और उन्हे आंदोलनो में उतारा । उसी तरह से पुरूषों को भी चाहिए की वह अपनी महिलाओं का दिशा निर्देशन करके उन्हे आन्दोलन में आगे लाए । क्योकी राष्ट्रव्यापी जनआन्दोलन में महिलाओं की भागीदारी पूरूषों से कम नही होनी चाहिए, तभी तो सामाजिक परिवर्तन होगा । समाज में स्त्रियों के स्थिती में बदलाव आएगा । अन्त में इतना सत्य है "दौर-ए-मौजुदा के दिन व रात बदल सकते है । हम बदल जाए तो, हालात बदलत सकते है ।" इसलिए राष्ट्र के हर व्यक्ति ने अपने आपको बदलकर स्त्री का सम्मान करके उसको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा राजनैतिक बराबरीका हक्क देना होगा । तभी इस राष्ट्र की उन्नति होंगी, अन्यथा इस देश का निकाल असंभव है । क्योंकि नारी शक्ति ही भारत को खोया हुआ वैभव दिला सकती है । क्योंकि नारी करूणा का सागर है । व अन्तत: वह वास्त में मंगल है ।

निष्कर्ष :

1. आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को सुदृढ बनाने हेतु आवश्यक कदम ।
2. महिलाओं के विकास हेतु सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक नीतियों का निर्माण ।
3. पुरूषों के साथ महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक और नागरिक क्षेत्रोंमें वैधानिक एवं समान भागीदारी ।
4. स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार में समान परिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा आदितक समाजन पहूँच ।
5. महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव के सभी रूपों के उन्मुलन का प्रयास ।
6. सक्रिय भागीदारी द्वारा सामाजिक व्यवहार और कुप्रथाओं में परिवर्तन ।
7. विकास प्रक्रिया में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना ।
8. महिलाओं और बालीकाओं के प्रति सभी प्रकारकी हिंसा का उन्मुलन ।
9. नागरिक समाज विशेषकर महिला संगठनों के साथ भागीदारी का निर्माण एवं उन्हें सुदृढ करना

संदर्भ सूची :

1. डॉ. आंबेडकर आणि स्त्री मुक्तीचे युद्ध - डॉ. यशवंत मनोहर, युगसाक्षी प्रकाशन, नागपूर.
2. राजर्षी शाहू महाराज आणि महिला मुक्ती - उत्तम कांबळे, सुगावा, पुणे.
3. भारतीय मागासलेपणाचा पाया वर्ग की जात ? - शरद पाटील (क्रांतिसिंह नाना पाटील)
4. राजर्षी शाहू छत्रपती- जीवन व कार्य - डॉ. जयसिंगराव पवार, महाराष्ट्र इतिहास प्रबोधिनी, कोल्हापूर.

5. मनुस्मृती स्त्रिया आणि डॉ. आंबेडकर - सरोज कांबळे, प्रतिमा परदेशी (क्रांतिसिंह नाना पाटील).
6. लोकराज्य - ऑक्टो 2006.
7. बहुजनों का भारत - मार्च 2012.